प्रैसनोट

कार्यालय महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर

एसीबी ने सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया

जयपुर,20 अगस्त 2019। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय जयपुर में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के सेवानिवृत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी विष्णु गोपाल तंवर एवं प्रयोगशाला सहायक सुमित जाखड़ एवं अन्य के विरुद्ध कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक से प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति मदद करने एवज में ले गए रुपयों के आधार पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के उप निदेशक श्री अजय शर्मा द्वारा एसीबी में परिवाद दिया कि एफएसएल में प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति में भ्रष्टाचार हुआ है श्री त्रिपाठी ने बताया कि उक्त परिवाद की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर प्रथम श्री आलोक शर्मा के द्वारा की गई। जांच में यह तथ्य सामने आए की सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी विष्णु गोपाल तंवर एवं प्रयोगशाला सहायक सुमित जाखड़ द्वारा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक से प्रयोगशाला सहायक की पद पर पदोन्नति वर्ष 2019 में 1 वर्ष का शिथिलता दिलवाने एवं मदद करने की एवज में आपस में मिलीभगत कर एफएसएल कर्मियों से रिश्वत राशि प्राप्त करने के आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि

कई कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों से उक्त आरोपियों ने अपने बैंक खाते में बतौर रिश्वत की राशि जमा करवाने के सबूत मिले।

श्री त्रिपाठी ने बताया कि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी विष्णु गोपाल तवर एवं प्रयोगशाला सहायक सुमित जाखड़ एवं अन्य के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एसीबी में प्रकरण दर्ज किया ।